

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 105

प्रकरण क्रमांक- SM-EXP-2024-02240

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "न्यू रायपुर रेसीडेन्सी", प्रमोटर-सतगुरु इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., द्वारा-
श्री अमरजीत छाबड़ा, पता-एस.एफ.-बी03, द्वितीय तल, श्याम प्लाजा, पुराना बस स्टैण्ड,
पण्डरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"न्यू रायपुर रेसीडेन्सी", पता-पिरदा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
03/04/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा अधिवक्ता उपस्थित। वकालतनामा पेश नहीं।</p> <p>उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 29.02.2024 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 03.04.2024 को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 5,000/- (पांच हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है।</p> <p>अनावेदक द्वारा शास्ति की राशि निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 03.04.2024 को जमा कर चालान की मूल प्रति पेश किया गया। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे।</p> <p>प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया। अनावेदक को भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	